

## अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 452/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/468

अनवान

1. श्रीमती डाई बाई पुत्री हिरालाल जी मैनारिया ब्राह्मण निवासी मादडी (उदयपुर) जिला उदयपुर राज.।  
.....वादी

बनाम

- श्री गोविन्द सिंह पिता समन्दर सिंह निवासी कुण्ढवास तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
- श्री कुबेर सिंह पिता समन्दर सिंह निवासी कुण्ढवास तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
- श्रीमती लाडकूबर पुत्री समन्दर सिंह हाल निवासी बारांडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
- श्रीमती मन्जूकूबर पुत्री समन्दर सिंह हाल निवासी बारांडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
- श्रीमती मोनाकूबर पुत्री समन्दर सिंह हाल निवासी बारांडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
- श्रीमती रतनकूबर पुत्री समन्दर सिंह हाल निवासी बारांडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
- श्रीमती मांगीकूबर पुत्री समन्दर सिंह हाल निवासी बारांडा तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
- श्री राज्य सरकार ज़रिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

.....प्रतिवादीगण

### वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधियक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.06.2025 को श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. सहायक कलक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि श्रीमती कुण्ढवास पटवार हल्का कुण्ढवास तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की निम्न आराजियात का घटपाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.सं.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकमा	किरम	लगान
1	श्रीमती डाई बाई पुत्री हिरालाल जाति ब्राह्मण सा उदयपुर खालेदार हिस्सा 40/27	1837	0.4300	पुर्व किरम अनुसार	6.02
योग		किता 1	0.4300	-	6.02
2.	कुबेर सिंह पुत्र समन्दर सिंह हि. 13/231 जाति दरोगा सा उदयपुर	1835	0.0300	पुर्व किरम अनुसार	1.55 0.30
	गोविन्द सिंह पुत्र समन्दर सिंह हि. 13/231 जाति दरोगा, मजु कुंवर पुत्री समन्दर सिंह हि. 13/231 जाति दरोगा, मांगीकूबर पुत्री समन्दर सिंह हि. 13/231 जाति दरोगा, मोना कूबर पुत्री समन्दर सिंह हि. 13/231 जाति दरोगा, रतन कूबर पुत्री समन्दर सिंह हि. 13/231 जाति दरोगा, लाल कूबर पुत्री समन्दर सिंह हि. 13/231 जाति दरोगा सा. उदयपुर	1836 1857	0.3100 0.0600		
	योग	किता 3	0.4400		

नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जाये। पत्रावली फैसल श्मार होकर नम्बर से कम निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

